न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-233RAAJodhpur2021-81RTA223 Sujaram Vs Rajuram etc

सुजाराम पुत्र बोहराराम जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम कड़वा तहसील बापीणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. राजुराम पुत्र मोटाराम
2. मोहनी पुत्री मोटाराम
3. मुन्नी पुत्री मोटाराम
4. ओमी पुत्री मोटाराम
5. गुड्डी पुत्री मोटाराम
6. धापु पुत्री मोटाराम
7. संगीता पुत्री मोटाराम
8. पपुड़ी पुत्री मोटाराम
9. शारदा पुत्री मोटाराम
10. पालकी पुत्री मोटाराम
11. जेठाराम पुत्र मोटाराम
12. समदु पत्नी मोटाराम
13. गुमानाराम पुत्र मांगीलाल

रेस्पो.

14. बाबुराम पुत्र बोहराराम
15. चम्पा पत्नी भीयाराम

जातियान् मेघवाल, निवासीगण– ग्राम कड़वा, तहसील बापीणी, जिला जोधपुर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापीणी, जिला जोधपुर।

प्रफोर्मा रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 मई 2018 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 79/2017 राजुराम व अन्य बनाम सुजाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 16

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 79/2017 राजुराम व अन्य बनाम सुजाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र डिक्री पर्चे में छूट देने बाबत पेश कर डिक्री पर्चा पेश करने की छूट चाही गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तेरह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 290 रकबा 23.05 बीघा, खसरा नं. 318 रकबा 32.04 बीघा ग्राम कड़वा के संबंध धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02 मई 2018 पत्रावली को लोक अदालत केम्प बेदू में रखकर वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि, विधान, संहिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। रेस्पोडेंट वादी के वाद अनुसार अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि तथा रेस्पोडेंट वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 318 दोनो चिपते खसरे है तथा वाद अनुसार वादीगण की भूमि में अपीलार्थी व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया है अर्थात कब्जा वादी का नही है, इस कारण वादी रेस्पोडेंट स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उक्त पत्रावली विचारण न्यायालय में नोटिस तामीलों में चल रही थी।अपीलार्थी तथा प्रफोर्मा रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब दावा भी पेश नहीं किया था। अपीलार्थी की राजस्व लोक अदालत में कोई सहमति नहीं थी, फिर भी अपीलार्थी की मौखिक सहमति मानते हुए उसकी उपस्थिति बताते हुए अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है। राजस्व लोक अदालत केम्प में सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आपसी सहमति से किसी मामले का अंतिम निस्तारण किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी व अन्य प्रफोर्मा रेस्पोडेंट की कोई सहमति नहीं थी। अपीलार्थी को यह भी ध्यान में नहीं था कि वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की मौखिक सहमति बताते हुए अपीलार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। वादीगण द्वारा अपीलार्थी व अन्य प्रफोर्मा पक्षकार के विरूद्ध वर्ष 2017 में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसमें यह अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित किया गया तथा उन्ही वादीगण द्वारा वर्ष 2019 में अपीलार्थी व अन्य रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध धारा 183 व 188 के तहत पुनः नया वाद पेश कर दिया, जिससे यह साबित है कि वादीगण के पास वादग्रस्त आराजी का कब्जा नहीं है। इस कारण वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद मे वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत जवाबदावा लिये बिना, तनकीयात कायम किये बिना तथा साक्ष्य लिये बिना सीधे ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रत आराजी के संबंध में नवीन वाद प्रस्तुत करने पर उस वाद का नोटिस अपीलांट को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा अपनी अधिवक्ता मुकर्रर किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पूर्व में जारी हो चुकी है। तब अपीलांट द्वारा दिनांक 01.07.2021 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र वास्ते डिक्री पर्चा की छूट पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये, किंतु आज दिनांक तक डिक्री पर्चा जारी नहीं किया। इस कारण अपीलांट डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर्चा की प्रति पेश नहीं कर पाया। अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 मई 2018 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स की भूमि पर नाजायज कब्जा कर दखलंदाजी पैदा किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा अत्यंत विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय डिक्री पर्चा जारी किये जाने के आदेश दिये गये है, किंतु आज दिनांक तक डिक्री पर्चा तैयार नहीं किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पद को डिक्री शुमार किया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय में संस्थित किया जाकर पत्रावली प्रतिवादीगण की तामील में विचाराधीन चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में पूर्व नियत पेशी दिनांक 06.05.2018 से पहले ही दिनांक 02.05.2018 को पत्रावली लोक अदालत केम्प बेदू में रखी गई, जिसकी सूचना अपीलांट/प्रतिवादीगण को दिये जाने बाबत नोटिस इत्यादि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विवाद्यक बिंदु विरचित कर उभय पक्ष से साक्ष्य लिये बिना केवल वादीगण की सुनवाई के आधार पर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 79/2017 राजुराम व अन्य बनाम सुजाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 मई 2018 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत मामले का विधिनुसार अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर